भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2604
दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 / 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005

†2604. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र विशेष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वर्तमान प्रतिशत अर्थात 49 प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) वर्तमान में देश में कितनी पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसियां कार्यशील हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, नहीं। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 [पीएसएआर अधिनियम] के कार्यान्वयन को विनियमित करने के लिए, स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीएसएआर अधिनियम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त/नामित नियंत्रण प्राधिकारी अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेंस प्रदान करने और उनके विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग): प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वर्तमान सेक्टोरल सीमा को बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ): देश में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। ये आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर रखे जाते हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेंस ऑनलाइन जारी और नवीनीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण लाइसेंसिंग पोर्टल" विकसित किया है। वेब पोर्टल के अनुसार, दिनांक 14.12.2023 की स्थिति के अनुसार, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के 21879 लाइसेंस हैं। प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के लाइसेंसों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2604, दिनांक 19.12.2023

अनुलग्नक

देश में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार संख्या:
(दिनांक 14.12.2023 की स्थिति के अनुसार, वेब पोर्टल psara.gov.in पर उपलब्ध डाटाबेस के अनुसार)*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाइसेंस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	26
2	आंध्र प्रदेश	395
3	अरुणाचल प्रदेश	22
4	असम	313
5	बिहार	479
6	चंडीगढ़	125
7	छत्तीसगढ़	253
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	125
9	दिल्ली	1406
10	गोवा	113
11	गुजरात	2543
12	हरियाणा	1431
13	हिमाचल प्रदेश	272
14	जम्मू और कश्मीर	105
15	झारखंड	322
16	कर्नाटक	944
17	केरल	600
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	1021
21	महाराष्ट्र	3773
22	मणिपुर	21
23	मेघालय	26
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	2
26	ओडिशा	582
27	पुदुचेरी	99
28	पंजाब	941
29	राजस्थान	1853
30	सिक्किम	27
31	तमिलनाडु	1023
32	तेलंगाना	737
33	त्रिपुरा	88
34	उत्तर प्रदेश	1687
35	उत्तराखंड	395
36	पश्चिम बंगाल	129
	सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**21879**

* चूंकि आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्तर पर रखे जाते हैं, इसलिए वास्तविक आंकड़े पोर्टल पर पंजीकृत जानकारी से भिन्न हो सकते हैं।

****